<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 19.04.2026</u>

<u>पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी ।</u>

<u>सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालो के विरुद्ध मैलानी पुलिस की कार्यवाही, अभियोग पंजीकृत</u>

दिनांक 14.04.2026 को थाना मैलानी क्षेत्रान्तर्गत बांकेगंज में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर कुछ लोगो द्वारा गैर परम्परागत तरीके से बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति प्राप्त किये एवं बिना सूचना दिये बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया गया । इसी दौरान इसी वर्ग के कुछ लोगो द्वारा इसका विरोध किया गया । विरोध के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने ही वर्ग की महिला के साथ मारपीट की गई । सूचना प्राप्त होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा महिला को बचाया गया एवं आपसी झगड़े के कारण खंडित हुई मूर्ति को सुरक्षित किया गया । इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव करने का प्रयास किया गया जिन्हें पुलिस द्वारा तितर-बितर किया गया । जिसके क्रम में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कुल 33 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है ।

उक्त घटना के संबंध में Rahul Soni द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि उक्त घटना में पुलिस के लाठीचार्ज से एक महिला की मृत्यु हुई एवं एक अन्य व्यक्ति विजय पाल गौतम निवासी बाबूपुर की भी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है । उक्त सूचना की जाँच करने पर सूचना भ्रामक, अफवाहपूर्ण, असत्य तथा अप्रमाणित पायी गई । महिला पूरी तरह स्वस्थ है तथा उक्त घटना के आरोपियों में से किसी भी व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मृत्यु नहीं हुई है । उक्त व्यक्ति द्वारा भ्रामक सूचना प्रसारित कर लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया । भ्रामक सूचना प्रसारित करने के संबंध में फेसबुक अकाउंट यूजर Rahul Soni के विरुद्ध थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 87/2026 धारा 353(2)/196/299 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

खीरी पुलिस सभी से अपील करती है कि भ्रामक/अफवाहपूर्ण सूचनाओं पर ध्यान न दें एवं किसी भी प्रकार की सूचना को बिना सत्यता जाने प्रसारित न करें । भविष्य में यदि कोई व्यक्ति असत्य एवं भ्रामक सूचना देकर अफवाह फैलाने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही की जायेगी ।